

◎防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定

(略称) インドとの防衛装備品及び技術移転協定

平成二十七年十二月 十二日 ニューデリーで署名

平成二十八年 三月 四日 効力発生

平成二十八年 三月二十八日 告示

(外務省告示第八一号)

目次

前文	四〇五
第一条 事業の決定	四〇五
第二条 合同委員会	四〇六
第三条 目的外使用及び第三者移転	四〇七
第四条 秘密情報の保護	四〇七
第五条 国内法令及び予算に従った協定の実施	四〇七
第六条 協議	四〇七
第七条 効力発生等	四〇八
末文	四〇八

ページ

防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定

日本国政府及びインド共和国政府（以下「両締約国政府」という。）は、

二千十四年九月一日の日本国とインド共和国の特別戦略的グローバル・パートナーシップのための東京宣言において確認された安全保障の分野において両締約国政府の間に存在する協力関係に鑑み、

共通の価値観及び目標並びに地域及び世界における平和及び安全のために共同で寄与するとの意図を共有し、

国際的な共同研究、共同開発及び共同生産に参加することにより、防衛装備品及び技術の性能を改善し、並びにこれらの費用の上昇に対処することが、諸国間で一層一般的になっていくという事実を認識し、

両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術の共同研究、共同開発及び共同生産が、それぞれの国の安全保障に資すること並びに日本国及びインド共和国の防衛産業の間の一層緊密な関係を促進することを希望し、

両締約国政府が参加する共同研究、共同開発及び共同生産に係る事業又は両締約国政府の間の安全保障及び防衛協力を強化するための事業を促進するため、防衛装備品及び技術の移転を規律すべき条件が定められる必要があることを理解して、

次のとおり協定した。

第一条

1 各締約国政府は、関係国内法令及びこの協定の規定に従い、2の規定に従って決定される共同研究、共同開発及び共同生産に係る事業又は安全保障及び防衛協力の強化のための事業を実施するために必要な防衛装備品及び技術を他方の締約国政府の使用に供する。

インドとの防衛装備品及び技術移転協定

AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
CONCERNING THE TRANSFER OF DEFENCE EQUIPMENT AND TECHNOLOGY

The Government of Japan and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Parties"),

Considering the existing cooperative relationship between the Parties in the area of security, as confirmed in the Tokyo Declaration for Japan-India Special Strategic and Global Partnership of 1 September 2014,

Sharing common values and objectives, and the intention to contribute jointly to peace and stability in the region and the world;

Recognising the fact that it has become increasingly common among countries to improve the performance of defence equipment and technology and to cope with their rising costs by participating in international joint research, development and/or production;

Desiring that the joint research, development and/or production of defence equipment and technology in which the Parties participate should contribute to the security of the respective countries and encourage a closer relationship between Japanese and Indian defence industries; and

Realising that in order to promote the joint research, development and/or production projects in which the Parties participate or the projects for enhancing security and defence cooperation between the Parties, the terms and conditions which should govern the transfer of defence equipment and technology need to be set forth;

Have agreed as follows:

Article 1

1. Each Party shall, subject to the relevant national laws and regulations and in accordance with the provisions of this Agreement, make available to the other Party, defence equipment and technology necessary to implement joint research, development and/or production projects or projects for enhancing security and defence cooperation to be determined in accordance with the provisions of paragraph 2. below.

2 共同研究、共同開発及び共同生産に係る個別の事業又は安全保障及び防衛協力の強化のための個別の事業は、両締約国政府により、商業的採算又はそれぞれの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して決定され、外交上の経路を通じて確認される。

第一条

合同委員  
会

1 前条2の規定に従って決定される事業のために移転される防衛装備品及び技術を決定するために合同委員会を設置する。

2 合同委員会は、各国の代表者で構成する。

日本国側の構成は、次のとおりとする。

- 防衛省の一の代表者
- 外務省の一の代表者
- 経済産業省の一の代表者

インド共和国側の構成は、次のとおりとする。

- 国防省の一の代表者
- 外務省の一の代表者
- 国防研究開発機構の一の代表者

3 移転される防衛装備品及び技術を決定するために必要な関連情報は、外交上の経路を通じて各国の代表者に伝達される。

4 移転される防衛装備品及び技術は、3の規定に従って伝達された関連情報に基づいて合同委員会により決定される。

2. Specific projects of the joint research, development and/or production or for enhancing security and defence cooperation shall be mutually determined, taking into account various factors including commercial viability or the security of the respective countries, and confirmed by the Parties through the diplomatic channel.

Article 2

1. A Joint Committee shall be established for determining the defence equipment and technology to be transferred for the projects determined in accordance with the provisions of paragraph 2. of Article 1.

2. The Joint Committee shall be composed of representatives from each country.

The membership of the Japanese side shall be:

- a representative of the Ministry of Defense;
- a representative of the Ministry of Foreign Affairs; and
- a representative of the Ministry of Economy, Trade and Industry.

The membership of the Indian side shall be:

- a representative of the Ministry of Defence;
- a representative of the Ministry of External Affairs; and
- a representative of the Defence Research and Development Organization (DRDO).

3. The relevant information necessary for determining the defence equipment and technology to be transferred shall be communicated to the representatives from each country through the diplomatic channel.

4. Based on the relevant information communicated in accordance with the provisions of paragraph 3. above, the defence equipment and technology to be transferred shall be determined by the Joint Committee.

目的外使  
用及び第  
三者移転

5 この協定を実施するため、特に、移転される防衛装備品及び技術、移転の当事者となる者並びに移転の詳細な条件を定める細目取極が、両締約国政府の権限のある当局の間で行われる。日本国政府の権限のある当局は、防衛省及び経済産業省とする。インド共和国政府の権限のある当局は、国防省及び外務省とする。

第三条

1 各締約国政府は、他方の締約国政府から移転された防衛装備品及び技術を、国際連合憲章の目的及び原則並びに細目取極において決定する他の目的に適合する方法で効果的に使用するものとし、いずれの一方の締約国政府も、当該防衛装備品及び技術を他の目的のために転用してはならない。

2 各締約国政府は、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した締約国政府の書面による事前の同意を得ないで、自国政府の関係する職員若しくは委託を受けた者（契約者及び下請契約者を含む。）以外の者又は他の政府に移転してはならない。

第四条

各締約国政府は、関係国内法令及び両締約国政府の間の適用可能な国際約束に従い、この協定に基づいて他方の締約国政府から移転される秘密情報を保護するための必要な措置をとる。

第五条

この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極は、それぞれの国の関係国内法令及び予算に従って実施される。

第六条

この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極の解釈、実施又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議又は交渉によって友好的に解決されるものとする。

国内法令  
及び予算  
に從つた  
協定の実  
施 協 議

5. Detailed arrangements providing for, inter alia, the defence equipment and technology to be transferred, persons who shall be party to the transfer, and the detailed terms and conditions of the transfer, shall be made between the competent authorities of the Parties in order to implement this Agreement. The competent authorities of the Government of Japan shall be the Ministry of Defense and the Ministry of Economy, Trade and Industry; the competent authority of the Government of the Republic of India shall be the Ministry of Defence and the Ministry of External Affairs.

Article 3

1. Each Party shall make effective use of defence equipment and technology transferred from the other Party in a manner consistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and such other purposes as may be determined in the detailed arrangements, and neither Party shall devote such defence equipment and technology to any other purpose.

2. Each Party shall not transfer to any person not an officer concerned or agent including contractor and subcontractor of such Party, or to any other Government, title to or possession of any defence equipment and technology transferred pursuant to this Agreement, without the prior written consent of the Party which transferred such defence equipment and technology.

Article 4

Each Party shall, subject to the relevant national laws and regulations and in accordance with applicable international agreements between the Parties, take necessary measures to protect classified information transferred from the other Party pursuant to this Agreement.

Article 5

This Agreement and all arrangements to be made hereunder shall be implemented subject to the relevant national laws and regulations and budgetary appropriations of the respective countries.

Article 6

Any matter relating to the interpretation, implementation or application of this Agreement and all arrangements to be made hereunder shall be resolved amicably through consultation or negotiation between the Parties.

第七条

効力発生

- 1 この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。
- 2 この協定は、両締約国政府間の書面による合意によりいつでも改正することができる。この協定の改正は、この協定の効力発生のための手続と同様の手続に従う。
- 3 この協定は、五年間効力を有し、その後は、4の規定に従って終了する時まで効力を存続する。
- 4 いずれの一方の締約国政府も、九十日前に他方の締約国政府に対して書面による通告を与えなければならず、最初の五年の期間の終わりに又はその後いつてもこの協定を終了させることができる。いずれの一方の締約国政府も、この協定が終了する場合には、この協定の終了により生ずる問題に関する協議を書面により要請することができる。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。

二千十五年十二月十二日にニューデリーで、ひとしく正文である日本語、ヒンディー語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

日本国政府のために

平松賢司

インド共和国政府のために

スプラマイニヤム・ジャイシヤンカル

Article 7

1. This Agreement shall enter into force on the date upon which the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective internal legal procedures necessary to give effect to this Agreement have been completed.
2. This Agreement may be amended at any time by written Agreement between the Parties. Any amendment of this Agreement shall follow the same procedure as its entry into force.
3. This Agreement shall remain in force for a period of five years, and shall continue in force thereafter until terminated in accordance with the provisions of paragraph 4. of this Article.
4. Either Party may, by giving ninety days written notice to the other Party, terminate this Agreement at the end of the initial five year period or at any time thereafter. If this Agreement is terminated, either Party may request in writing consultations concerning any matter arising from the termination of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at New Delhi, this twelfth day of December, 2015, in two originals each in the Japanese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government  
of Japan:

(Signed) Kenji Hiramatsu

For the Government  
of the Republic of India:

(Signed) Subrahmanyan Jaishankar

## जापान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा उपकरण तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण के संबंध में करार।

जापान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात् 'दोनों पक्षकार' कहा गया है),

जैसा कि 1 सितंबर, 2014 को जापान-भारत विशेष राजनीतिक एवं वैश्विक सहभागिता हेतु टोक्यो घोषणा में पृष्टि की गई है; सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों पक्षकारों के बीच मौजूदा सहयोगात्मक संबंध पर विचार करते हुए;

सझा मूल्यों एवं उद्देश्यों का आदान-प्रदान करते हुए, तथा इस क्षेत्र में तथा विश्वभर में शांति एवं स्थिरता के लिए संयुक्त रूप से योगदान करने की मंशा से;

इस बात को स्वीकार करते हुए कि सभी देशों के बीच यह बात बिलकुल आम हो गई है कि रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के निष्पादन में सुधार किया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अनुसंधान, विकास और/अथवा उत्पादन में सहभागिता करते हुए उनकी बढ़ती कीमतों का मुकाबला किया जाए;

यह इच्छा करते हुए कि रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के संयुक्त अनुसंधान, विकास और/अथवा उत्पादन, जिसमें दोनों पक्षकार सहभागिता करते हैं, से संबंधित देशों की सुरक्षा के प्रति योगदान होगा और इससे जापानी तथा भारतीय रक्षा उद्योगों के बीच संबंध घनिष्ट होंगे; और

यह महसूस करते हुए कि संयुक्त अनुसंधान विकास और/अथवा उत्पादन परियोजनाओं, जिनमें दोनों पक्षकार सहभागिता करेंगे, अथवा दोनों पक्षकारों के बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने संबंधी परियोजनाओं, को बढ़ावा देने की दृष्टि से रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के अंतरण को नियमित करने वाले निबंधन एवं शर्तें निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है;

निम्नवत सहमत हुई हैं:

### अनुच्छेद 1

1. प्रत्येक पक्षकार, संगत राष्ट्रीय कानूनों के विनियमों के आधार पर और इस करार के प्रावधानों के अनुसार दूसरे पक्षकार को संयुक्त अनुसंधान, विकास और/अथवा उत्पादन परियोजनाओं अथवा सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगा और इसका निर्धारण नीचे दिए गए पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

2. संयुक्त अनुसंधान, विकास और/अथवा उत्पादन अथवा सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का वाणिज्यिक व्यवहार्यता अथवा संबंधित देशों की सुरक्षा सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए परस्पर निर्धारण किया जाएगा और राजनीतिक माध्यम से, दोनों पक्षकारों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

### अनुच्छेद 2

1. अनुच्छेद 1 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित परियोजनाओं के लिए अंतरित किए जाने वाले रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्धारण हेतु एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी।

2. संयुक्त समिति में दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

जापानी पक्ष के सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि; और

आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

भारतीय पक्ष की सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि; और

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) का एक प्रतिनिधि।

3. प्रत्येक देश के प्रतिनिधियों को राजनयिक माध्यमों द्वारा अंतरित किए जाने वाले रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्धारण हेतु आवश्यक संगत सूचना प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अनुसार सम्प्रेषित संगत सूचना के आधार पर अंतरित किए जाने वाले रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी का निर्धारण संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

5. इस करार को लागू करने के लिए दोनों पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों के मध्य अन्य बातों के साथ-साथ अंतरित किए जाने वाले रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी, इस अंतरण में पक्षकार के रूप में शामिल व्यक्तियों और अंतरण से संबंधित निबंधन एवं शर्तों की व्यवस्था होगी। जापान की सरकार के सक्षम प्राधिकारी रक्षा मंत्रालय और आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय होंगे; भारत गणराज्य की सरकार के सक्षम प्राधिकारी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय होंगे।



### अनुच्छेद 3

1. प्रत्येक पक्षकार अन्य पक्षकार से अंतर्गत रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी का प्रभावकारी उपयोग इस प्रकार करेगा, जो संयुक्त राष्ट्र चाट्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हो और ऐसे अन्य उद्देश्य विस्तृत व्यवस्थाओं में निर्धारित किए जाएंगे और कोई भी पक्षकार ऐसे रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।
2. प्रत्येक पक्षकार किसी व्यक्ति को, संबंधित अधिकारी या एजेंट जिनमें ऐसे पक्षकार का ठेकेदार या उप ठेकेदार शामिल हो या किसी अन्य सरकार को, जिसके पास इस करार के बाद किन्हीं रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी की हकदारी या स्वामित्व हो, उस पक्षकार जिसने ऐसे रक्षा उपकरण या प्रौद्योगिकी अंतर्गत की है, पूर्व लिखित सहमति के बिना अंतर्गत नहीं करेगा।

### अनुच्छेद 4

प्रत्येक पक्षकार, संगत राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के आधार पर दोनों पक्षकारों के बीच लागू अंतर्राष्ट्रीय करारों के अनुसार इस करार के बाद दूसरे पक्षकार से अंतर्गत वर्गीकृत सूचना की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करेगा।

### अनुच्छेद 5

यह करार और इसके अंतर्गत की गई सभी व्यवस्थाएं संबंधित देशों के संगत राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों और बजटीय विनियोजनों के अख्यधीन कार्यान्वित की जाएंगी।

### अनुच्छेद 6

इस करार की व्याख्या, कार्यान्वयन अथवा अनुसूचना और इसके अंतर्गत की गई सभी व्यवस्थाओं से संबंधित किसी भी मामले का समाधान दोनों पक्षकारों के मध्य परामर्श या आपसी बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

### अनुच्छेद 7

1. यह करार उस तिथि से लागू होगा जब दोनों पक्षकार इस करार को प्रभावी बनाने के लिए एक-दूसरे को यह सूचित करते हुए राजनयिक टिप्पणियों का आदान-प्रदान करते हैं कि आवश्यक आंतरिक कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

2. इस करार में किसी भी समय दोनों पक्षकारों के मध्य लिखित सहमति द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इस करार के किसी संशोधन में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसा कि इसे लागू करने के समय अपनाई गई थी।

3. यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और जब तक इस अनुच्छेद के पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार इसे निरस्त नहीं किया जाता, यह इसके बाद भी लागू रहेगा।

4. दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार प्रारंभिक पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अथवा इसके उपरान्त किसी भी समय दूसरे पक्षकार को 90 दिनों की लिखित सूचना देकर इस करार को निरस्त कर सकता है। यदि इस करार को निरस्त किया जाता है तो दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इस करार को समाप्त किए जाने से उत्पन्न किसी भी मामले के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए लिखित में अनुरोध कर सकता है।

इसके साक्ष्य में अश्विस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2015 के दिसंबर माह के बारह वें दिन नई दिल्ली में जापानी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में, प्रत्येक दो मूल प्रतियों में सम्पन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

जापान की सरकार की भारत गणराज्य की सरकार की

ओर से

Kenji Hiramatsu

ओर से

सुब्रह्मण्यम जयशंकर

(参考)

この協定は、インドとの間で、両国政府が参加する共同の研究・開発・生産に係る事業又は安全保障・防衛分野における協力の強化のための事業に関して日印間で移転される防衛装備品及び技術の取扱いに関する法的枠組み、特に防衛装備品及び技術の適正な管理につき定めるものである。